न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 63/2021

1. राजबाला पत्नी महेन्द्रसिंह जाति मीणा निवासी सरूपसराय हाल चक 3 केएलडी तहः खाजूवाला।

..... वादीया

बनाम

1. शीलादेवी पत्नी रतनसिंह जाति मीणा निवासी सरूपसराय तहः मुण्डावर जिला अलवर।
2. उप—पंजीयक खाजूवाला।
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 13.02.23**

यह वादपत्र वादीया की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया व प्रतिवादीया के संयुक्त खाता में चक 3 केएलडी मु0नं0 150/60 के किला नं0 1 ता 25 कुल तादादी 25.00 बीघा यानि 6.3225 है0 क0/अ0क0 भूमि खातेदारी शुदा है। वादीया एवं प्रतिवादिया देवरानी, जेठानी है। वादगत भूमि में काफी अरसे पहले ही वादिया के हिस्से तक पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे अनुसार 1/2 हिस्सा कुल 25.00 बीघा में से किला नं0 1 ता 10, 11 में 10 बिस्वा, 15, 16 सालम कमाण्ड कुल तादादी 12.10 बीघा मय खाला कमाण्ड भूमि वादीया को देकर कब्जा दे दिया था। जिसपर वादिया तब से लेकर आजतक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रही है एवं समस्त भूमि वादिया के उपयोग—उपभोग में है। सुधारी हुई भूमि देखकर प्रतिवादी सं0 1 के मन में लालच आ गया है और वह बिना विभाजन भूमि को बेचान करने पर आमादा है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादिया जरिये खाता विभाजन अपना खाता अलग करवाने की विधिक अधिकारी है। वादिया ने निवेदन किया है कि खाता विभाजन डिक्री इस आश्य की जारी की जावे कि चक 3 केएलडी मु0नं0 150/60 के किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा यादि 6.3225 है0 कमाण्ड/अ0क0 भूमि में से वादिया की कब्जा काश्त किला नं0 1 ता 10, 11 में 10 बिस्वा, 15, 16 सालम कमाण्ड कुल तादादी 12.10 बीघा मय खाला कमाण्ड हिस्सा या बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का खाता तकसीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश करने के आदेश प्रतिवादी सं0 3 को प्रदान कर अलग से लगान कायमी और रिकॉर्ड मैन्टेन करने के आदेश फरमाया जावे। चिरनिषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादिया की कब्जे काश्त शुदा खातेदारी भूमि वाके चक 3 केएलडी मु0नं0 150/60 किला नं0 1 ता 10, 11 में 10 बिस्वा, 15, 16 सालम कमाण्ड कुल तादादी 12.10 बीघा मयखाला भूमि में प्रतिवादी दखलअन्दाजी नहीं करें और ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करें या करावें जिससे वादिया के हक—हकूकों, कब्जा कास्त पर बेजा असर पड़े।

सर्वप्रथम दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस/समन तलबी करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी सं0 1 गैरहाजिर। वादिया अधिवक्ता ने दिनांक 20.12.22 को निवेदन किया कि इस प्रकरण की सूचना प्रतिवादी सं0 1 को है वह पत्रावली की नकल लेकर गए है और इसके साथ जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र धारा 212 आरटीएक्ट की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर में अपील की है। उनको प्रकरण की सूचना है किन्तु जानबुझकर हाजिर नहीं होना चाहते है इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे। दिनांक 06.0123 को वादिया अधिवक्ता ने पुनः निवेदन किया प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना हाजिर नहीं आ रही है तो एकपक्षी कार्यवाही अमल में लाई जावे तो प्रतिवादी सं0 1 एकबार पुनः रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाने के आदेश कर नोटिस भिजवाए गए और रजि डाक सं0 RR218989957IN दिनांक 04.02.23 डाक विभाग की डिलीवरी रिपोर्ट शामिल मिसल की गई। दिनांक 13.02.23 को प्रतिवादी सं0 1 को नोटिस डिलीवरी आ जाने पर गैरहाजिर रहने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार खाजूवाला की प्रस्ताव/रिपोर्ट मय मौका फर्द नजरी नक्शा प्राप्त हुई जिसके अनुसर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 3 केएलडी मु0नं0 150/60 रकबा 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि शीलादेवी पत्नी रतनसिंह व राजबाला पत्नी महेन्द्रसिंह जाति मीणा निवासी सरूपसराय तहः मुण्डावर जिला अलवर के नाम ब.हि.ब. खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिकॉर्ड अनुसार उक्त रकबा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश क्रमांक 323 दिनांक 17.6.21 की पालला में स्थगन यथास्थिति का नोट अंकित है। मौके पर उक्त सम्पूर्ण रकबा में शीलादेवी पत्नी रतनसिंह व राजबाला पत्नी महेन्द्रसिंह जाति मीणा मौके पर निवासी निवासी नहीं कर रहे है। मौके पर उक्त सम्पूर्ण रकबा बजरंगलाल पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी 2 केएलडी को काश्त के लिए हिस्से पर दे रखा है। मौके पर उक्त रकबा के काश्तकार बजरंगलाल ने पुछताछ में बताया है कि मु0नं0 150/60 के किला नं0 1 ता 10, 11 में 10 बिस्वा व 15, 16 सालम कुल रकबा 12.10 बीघा भूमि उसे राजबाला पत्नी महेन्द्रसिंह ने हिस्से पर काश्त के लिए दे रखा है तथा उक्त मु0नं0 का शेष रकबा उसे शीलादेवी पत्नी रतनसिंह ने हिस्से पर दे रखा है तथा मु0नं0 150/60 के किला नं0 1 में एक बड़ी पानी की डिग्गी, ट्यूबबैल व बिजली कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बहस सुनी गई।

अदालत द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया के वाद वादपत्र के कथनों की पुष्टि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट दिनांक 05.01.23 से हो रही है। इसलिए तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार के काबिल पाया जाता है।

अतः वादीया का वाद वादपत्र के कथनों व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 3 केएलडी मु0नं0 150/60 के किला नं0 1 ता 25 कुल तादादी 25.00 बीघा यानि 6.3225 है0 क0/अ0क0 भूमि में से वादीया के हिस्सा की भूमि चक 3 केएलडी मु0नं0 150/60 किला नं0 1 ता 10, 11 में 10 बिस्वा, 15, 16 सालम कमाण्ड कुल तादादी 12.10 बीघा कमाण्ड /अनकमाण्ड अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)